

क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुआ
	<p>18/3/24 पत्रावली पेडा हुडी मूल वाद पत्र खातिज ही आने से इस पत्रावली को भागी चलने योग्य नहीं है।</p> <p>धनः प्राचीन का प्रावना अपत्र मूल वाद पत्र खातिज होने से खातिज किया जाता है पत्रावली के मूल शुमार होकर नम्बर से कम हो व खतिज रूप में हो</p>	<p>धन</p> <p>उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>

